

सं० सं० 14 / एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शाहरुख आलम पिता-हासीम मियां ग्राम-उसरी पो०-सोहिल पट्टी थाना-बसंतपुर जिला-सीवान आई आरसीएचनं०-150490/12	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~148745~~..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-CA 10874584292, खाता धारक का नाम- DR. BRA IRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~148745~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

ज्ञापांक 1315(14)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 23.7.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/7/18
निदेशक प्रमुख
23.7.18

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०
ओखला रोड,
नई दिल्ली 110025

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोनु कुमार गुप्ता पिता-ज्योती शंकर साह ग्राम+पो०-अर्जुनपुर थाना-औद्योगिक क्षेत्र जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 1,35,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 148738 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10484942504, खाता धारक का नाम- इस्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- न्यु फ्रेंड्स कालोनी, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001711 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.../48738...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

/-

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1306(14)

पटना, दिनांक 23.7.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/18
निदेशक प्रमुख
श्री. (क)

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुधांशु कुमार पिता-अनिल कुमार ग्राम-उदनी पो०-मितनचक थाना-गोपालपुर जिला-पटना एनएसनं०-103409738	न्युरो रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 60,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000 /-(साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 148737 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584644, खाता धारक का नाम-AIIMS NEURO SURGERY PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536) RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0....148737.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/—

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1305(14)

पटना, दिनांक 23.7.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/18
निदेशक प्रमुख
21/6/18

सं० सं० 14 / एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	साहीना खातुन पिता-मुमताज अंसारी ग्राम-पो०-गभीरार थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान सीभीनं०-2018/014/0021395	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	अनिल मंडल पिता-विश्वनाथ मंडल ग्राम-फतेहपुर पो०-गनगनीया थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर सीभीनं०-2018/014/0020404	हृदय रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,20,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 148736..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584269, खाता धारक का नाम-"AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S' ACCOUNT" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536) .RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...~~148736~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख


ज्ञापांक

1304 (14)

पटना, दिनांक

23.7.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
23/7/18

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
पारस अस्पताल
सी-1, सुसांत लोक सेक्टर-43
गुड़गांव हरियाणा-122002

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आमीर हसन पिता-अब्दुल जलील ग्राम-पानापुर पो०-रामपुर मीना थाना-बरुराज जिला-मुजफ्फरपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
			कुल रू० 3,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 3,00,000/- (तीन लाख) का क्रास चेक सं०..... 178739 मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 23.7.18

ज्ञापांक 1307(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नन्द कुमार राय मा० सं० वि० सं० / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
डा० बीआर० अम्बेदकर मेमोरियल
अस्पताल रायपुर-492001 (छतीसगढ़)

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संजय कुमार पाठक पिता-दुर्गा नन्द पाठक ग्राम+पो०-हरदीया थाना-पुपरी जिला-सीतामढ़ी	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,20,000/-

- उक्त अनुदान की कुल ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपया का क्रास चेक सं०.....
.....~~148771~~..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 23.7.18

ज्ञापांक

1313(14)

प्रतिलिपि-लेखापोल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री विनोद नारायण झा
मा० मंत्री लोक स्वा० अभियंत्रण विभाग/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/18

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हरि ओम कुमार पिता-दशरथ प्रसाद यादव ग्राम+पो०-रसौक थाना-मोरकाही जिला-खगड़िया एमआरडीनं०-2037767	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
2	शांति देवी पति-कृष्णा कुमार मेहता ग्राम-फुलौत पश्चिमी पो-फुलौत, थाना-चौसा जिला-मधेपुरा पंजी सं०-1182/18	कैंसर रोग	₹ 90,000/- (नब्बे हजार) स्वीकृत।
3	धीरज पाण्डेय पिता-नारायण पाण्डेय ग्राम+पो०+थाना-टनकुप्पा जिला-गया एमआरडीनं०-1643980	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
4	भगवान राम पिता-श्री अमावश राम ग्राम-मौडीहारा पो०-राजपुर थाना-नटवार जिला-रोहतास पंजीसं०-2018/59332	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,70,000/- (एक लाख सतर हजार) स्वीकृत।

5	मालती कुंवर पति-स्व० परशुराम तिवारी ग्राम-खैरावेद पो०-डुमरी थाना-चेनारी जिला-रोहतास एमआरडीन०-1965096	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
6	श्याम सुन्दर तिवारी पिता-लक्ष्मण तिवारी ग्राम-बभनटोली पो०+थाना+जिला-शिवहर एमआरडीन० 2122027	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,60,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,60,000/- (छः लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 148742 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 148742 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1310(14)

पटना दिनांक 23.7.18

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्रीमती पुनम देवी यादव, मा०स०वि०स०/ श्री नरेन्द्र ना० यादव, मा० स०वि०स०/ श्री कुमार सर्वजीत, मा० स०वि०स० बोध गया/ श्री जय कुमार सिंह, मा० मंत्री उद्योग सह वि० एवं प्रावैधिकी विभाग/ श्री ललन पासवान मा० स०वि०स०/ श्रीमती रमा देवी मा० सांसद/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/18
निदेशक प्रमुख

पत्रांक 14 / एम 11-2 / 18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुर्यमणी पासवान पिता-राम लखन पासवान ग्राम+पो०-भटगांव थाना-बाढ जिला-पटना सीएमसीनं०-053905 एच०	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
2	गौतम कुमार गुप्ता पिता-फेंकु प्रसाद गुप्ता ग्राम-बीर बन्ना पो०-वैता, थाना-अंतिचक जिला-भागलपुर सीएमसीनं०-974348 जी०	हृदय रोग	₹ 1,80,000 /-(एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	निकेश कुमार पिता-वंशीधर मंडल ग्राम-खोशालपुर पो०-परशुरामपुर थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर सी०एम०सीनं०-071804 एच०	ब्रेन सर्जरी	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,80,000 /-(तीन लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 148773 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(डा0 आर0 डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~148713~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1312 (14)

पटना, दिनांक 23.7.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी, गुड़गांव,
सेक्टर-38, हरियाणा,
पीन-122 001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	ओम प्रकाश पति तिवारी पिता-स्व० बाबु नन्दन तिवारी ग्राम-डुमवलीया पो०-नरईपुर थाना-पटखौली जिला-प० चम्पारण यू०एचआईडीनं०-एमएम०1147328	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~128744~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 000380200000292, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल- दिल्ली/गुड़गांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-यश बैंक लि०, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं० YESB0000003 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~178744~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

ज्ञापांक 1314(14)

निदेशक प्रमुख
पटना, दिनांक 23.7.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/18
निदेशक प्रमुख
शा.वि.सं.सं.

सं० सं० 14/.एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एड एसिसयेट
लखनऊ, उ० प्र०-226003

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पता निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अजय ठाकुर पिता-राजेन्द्र ठाकुर ग्राम-बेलसुई पो०-कृष्णापाली थाना-दरौली जिला-सीवान	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,20,000/-

- उक्त अनुदान की कुल ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रूपया का क्रास चेक सं०.....
178770 मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 23.7.18

ज्ञापांक 1309(14)

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
23/7/18

सं० सं० 14/एम 11-2/18
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	तारा देवी पति-अशोक भारती ग्राम-नौतन बलुआ पो०+थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण सीआरन०-2018577221	प्लास्टिक सर्जरी	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
2	गुलशन कुमार पिता-अजीत कुमार पटेल ग्राम+पो०-महवल थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन०-2017032951	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
3	रश्मि कृति पिता-परमा साह ग्राम-पो०-बिशुनपुर कल्याण थाना-साहेबगंज जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन०-2018021480	किडनी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	अनिल प्रसाद पटेल पिता-भीखर प्रसाद ग्राम-पो०-भेलाही थाना-पलनवा जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन०-2018179010	किडनी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
5	मनोहर शर्मा पिता-मिश्री शर्मा ग्राम-महुआवा पो०-बाजुडीह महुआवा थाना-विजयीपुर जिला-गोपालगंज सीआरन०-2018495721	ब्रेन ट्यूमर	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।

6	सुमित्रा देवी पति-राजा भगत ग्राम-बरबा पो0+थाना-कटेया जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018457451	न्युरो सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
7	रीना देवी पति-राजेश कुशवाहा ग्राम-माडर खास पो0-थाना-विजयीपुर जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018512190	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
8	रेशमा पिता-महबुन ग्राम-रौतारी पो0+थाना-विजयपुर जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2018131590	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
9	संतोष कुमार गुप्ता पिता-परशुराम प्रसाद गुप्ता ग्राम-दहियावा धर्मदेव मंदिर के पीछे, पो0-छपरा थाना-नगर जिला-सारण सीआरनं0-2018361950	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
10	प्रमोद सिंह पिता-स्व0 जग नारायण सिंह ग्राम-पो0-बहुआरा थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर सीआरनं0-2015206924	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत।
11	मुन्ना आलम पिता-सरातल मियां ग्राम-शाही टोला भीताहा पो0-भीताहा निजामत थाना-बैरिया जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2018395226	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
12	संजीव कुमार पिता-कविन्द्र सिंह ग्राम-पो0-कमलपुरा थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-2018497195	न्युरो सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
13	आरती कुमारी पिता-बाबु लाल सिंह ग्राम-रकबा बिरती टोला पो0-सीसई थाना-भोरे जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2016434998	किडनी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

14	सुधन कुमार पिता-विश्वनाथ राम ग्राम-नया टोला, दलेया पो0-अमवा नकछेद थाना-कुचाय कोट जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2014698352	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत ।
15	गीता देवी पति-शंख दुबे ग्राम-दुबे खरेया पो0-सोनहुला, थाना-गोपालपुर जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2007217880	ब्रेन ट्युमर	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत ।
16	लाल बचन साह पिता-शिव नारायण साह ग्राम-जगीरहा पो0-इनरवा फुलवार थाना-लखौरा जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं0-2018413651	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत ।
17	सुदामा पंडित पिता-मनोज पंडित ग्राम+पो0 मई थाना-हिलसा जिला-नालंदा सीआरनं0-2017040818	पेट रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
18	वंशीधर पाल पिता-स्व0 राज कुमार पाल ग्राम+पो0 धनेज थाना-करगहर जिला-रोहतास सीआरनं0-2011733413	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000/- (तीन लाख) स्वीकृत ।
19	अमरेन्द्र शाही पिता-सुखदेव शाही ग्राम-पो0-शिवपुर सकरा थाना-असांव जिला-सीवान सीआरनं0-2016975403	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत ।
20	आलोक कुमार पिता-अमरजीत साह ग्राम-देवपुर, पो0-नन्दपुर अमवारी थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान सीआरनं0-2015754081	ब्रेन ट्युमर	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
21	छोटी कुमारी पिता-मुनी लाल पोद्दार ग्राम+पो0-भवानीपुर थाना-रंगरा जिला-भागलपुर सीआरनं0-2018543198	कैंसर रोग	₹ 2,00,000/- (दो लाख) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
			कुल ₹ 28,35,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 28,35,000/-(अठाईस लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~148777~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ~~148777~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1308(14)

पटना, दिनांक 22.7.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नारायण प्रसाद मा० स०वि०स०/ श्री नन्द कुमार राय, मा० स०वि०स०/ डा० शमीम अहमद मा० स०वि०स०/ सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
23/7/18

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 18

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

विहार पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.7.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	जुबैर आलम अंसारी पिता-मो० आमिर हसन ग्राम-अल्लपट्टी पो०-डी०एम०सी० थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा केसफाइलनं०-सीएच / 12293	कैंसर रोग	₹ 25,000 / - (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	उदय कुमार मिश्र पिता-सुरेन्द्र कुमार मिश्र ग्राम-शाहगंज बेंता पो०-डी०एम०सी० थाना-बेंता ओ०पी० जिला-दरभंगा केसफाइलनं०-सीएन / 21237	कैंसर रोग	₹ 30,000 / - (तीस हजार) स्वीकृत।
3	चित्रलेखा देवी पति-विष्णुदेव यादव ग्राम-रहिकपुर पो०-थाना+जिला-अररिया केसफाइलनं०-सीपी / 25708	कैंसर रोग	₹ 1,20,000 / - (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
4	गुप्तेश्वर सिंह पिता-बजरंगी सिंह ग्राम-शिव मंदिर माया बीगहा पो०-तेलडीहा थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद केसफाइलनं०-सीआर / 19801	कैंसर रोग	₹ 1,80,000 / - (एक लाख अस्सी हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	ज्ञानी देवी पति-अवध यादव ग्राम-क्यामचक भोज पट्टी पोस्ट-पिंडारूच थाना-केवटी, जिला-दरभंगा केसफाइलनं०-सीपी/06081	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
6	सविता कुमारी पति-बृज नन्दन प्रसाद ग्राम+पो०-घोंसतावा थाना-सिलाव जिला-नालंदा केसफाइलनं०-सीआर/16547	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
7	संतोष कुमार पिता-राजेन्द्र प्रसाद साह ग्राम+पो०-मदरना थाना+जिला-वैशाली केसफाइलनं०-सीआर/17355	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
8	रौशन कुमार पंकज पिता-बच्चु शर्मा ग्राम-धुरीहार पो०-पचाढा थाना-हिसुआ जिला-नवादा केसफाइलनं०-सीआर/21414	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
9	मो० शाहजहां पिता-मो० मतीउर रहमान ग्राम-भी०आई०पी० कालोनी माधोपाड़ा के हाट पो०-भट्टा बाजार थाना-सहायक खजांची जिला-पूर्णिया केसफाइलनं०-सीआर/16578	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
10	नितु झा पति-भारतेन्दु कुमार झा ग्राम-बेहटा पो०-थाना-बेनीपट्टी जिला-मधुबनी केसफाइलनं०-सीआर/13033	कैंसर रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,95,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,95,000/- (आठ लाख पनचानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 148746 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1002449683, खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी०एम०एच०, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज / उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. ~~178746~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1311(14)

पटना, दिनांक 23.11.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री सजय सरावगी मा0 स0वि0स0 दरभंगा / श्री अशोक कुमार सिंह, मा0 स0वि0स0 रफीगंज / डा0 फराज फातमी मा0 स0वि0स0 // संबंधित मरीज / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/11/18
निदेशक प्रमुख